न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 202/2018 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2018/00593

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा राज०

प्रार्थी

बनाम

1. नगर पालिका निम्बाहेडा जरिये अधिशाषी अधिकारी महोदय, नगर पालिका निम्बाहेडा राज०

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री शहादत अली – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3– पेराकर सरकार स्वयं उपस्थित– विपक्षी संख्या 2

:: निर्णय :: दिनांक :– 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता सं० 605 की आ0नं0 1779 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, आ0नं0 1780 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आ0नं0 1781 रकबा 0.3800 हेक्टेयर, आ०नं0 1782 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, आ०नं० 1783 रकबा 0.1100 हेक्टेयर . आ०न० 1784 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आ०नं0 1785 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, आ0नं0 1786 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, आ०नं० 1787 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, आ०नं० 1908 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 2.2700 हेक्टेयर स्थित है। इन आराजीयात को आगे वाद वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2. वादग्रस्त आराजीयात निम्बा[illegible]मार्ग पर स्थित है। यह आराजीयात पहले श्री गिरधारी पिता नन्दा [illegible]सी निम्बाहेडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। जिन[illegible] 1322, 1323–1324, 1325, 1326–1327–1328, [illegible] पहले निम्बाहेडा छो[illegible]डी सडक नही थी केवल पगडंडी थी जिसे सन्[illegible]63–1964 में चौडा क[illegible]क बनाई गई जिसमें गिरधारीलाल गुर्जर की पुरानी आराजी नं0 1322 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से 18 बिस्वा आराजी सडक में ली गई, जिसके नम्बर 2172/1322

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

1–5

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुऐ एवं आराजी नं0 1329–1330 रकवा 3 बीघा 17 बिस्वा मेसे 18 बिस्वा सडक में ली गई जिसके नये नम्बर 2173/1330 हुऐ और इन आराजी नम्बर 2172/1322 एवं 2173/1330 पर निम्बाहेडा छोटीसादडी सडक बनाई गई, जो उत्तर से दक्षिण बनाई गई जो अभी मोजूद है।

3. सेटलमेंट के पश्चात आराजी नं0 2172/1322 रकवा 18 बिस्वा के नये नम्बर 1778 रकबा 0.23 हेक्टेयर हुआ एवं आराजी नं० 2173/1330 रकवा 18 बिस्वा का नया नम्बर 1788 रकबा 0.23 हेक्टेयर हुआ। यह आराजीयात दोनो बिलानाम सडक रिकार्ड में दर्ज होना चाहिऐ थी किन्तु राजस्व कर्मचारीयों की गलती से यह आराजीयात सडक बिलानाम में दर्ज करने के बजाये नगर पालिका निम्बाहेडा के नाम गे०मु० आबादी में दर्ज कर दी गई, जब कि वहां पर नगर पालिका की कोई आबादी भूमि नही है। बल्की सडक है। एवं सडक से लगी पूर्वी दिशा में प्रार्थी व उसके परिवार की आराजीयात है। इसके अलावा यह आराजीयात जो सडक के लिये ली गई थी एवं जिस पर सडक बनाई गई थी वह उत्तर से दक्षिण बनाई गई थी किन्तु राजस्व अधिकारीयों की गलती से राजस्व नक्शे में यह आराजीयात उत्तर से दक्षिण के बजाये जहां पर प्रार्थीव उसके परिवार की आराजीयात है वहां पर दो टूकडों में पूर्व से पश्चिम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार यह आराजीयात राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी में सडक सरकारी के बजाये गलती से आबादी नगर पालिका दर्ज हो गई है एवं नक्शे में उत्तर से दक्षिण के बजाये पूर्व से पश्चिम प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजीयात के स्थान पर दर्ज कर दी गई है।

4. वाद ग्रस्त आराजीयात पहले गिरधारी पिता नन्दा गुर्जर के खातेदारी की थी जिसके तीन पुत्र लालू, मांगीलाल, एवं हीरालाल थे, और गिरधारी के देहांत के बाद वादग्रस्त आराजीयात उसके तीनों पुत्रों के नाम आई और तीनों का बराबर 1/3–1/3 हिस्सा हुआ। इन तीनों का भी देहान्त हो चुका है। प्रार्थी भैरूलाल स्व० मांगीलल का एक मात्र पुत्र होकर वादग्रस्त आराजी में उसका 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार मोके पर निम्बाहेडा छोटीसादडी मार्ग सडक से लगी हुई पूर्वी दिशा में प्रार्थी व उसके परिवार की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिनसे नगर पालिका निम्बाहेडा का कोई सम्बंध व सरोकर नही है। फिर भी सहवन से जो आराजी नंम्बर 1778 एवं 1788 प्रार्थी व उसके परिवार की आराजीयात की जगह नक्शे में दर्ज हो गये है एवं नगर पालिका के नाम दर्ज हो गये है। इस कारण से नगर पालिका निम्बाहेडा वादग्रस्त आराजीयात में नाजायज रूप से हस्तक्षेप करने पर उतारू है साथ ही बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाऐ सडक चौडी करण का कार्य करते हुए नाजायज रूप से प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात में दखल कर रहा है जिसका कि उसे कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर और रकबा सही है परंतु राजस्व अभिलेखों में किसके नाम से इस कथन की विपक्षी को जानकारी नही है प्रार्थी स्वयं साबित करें। पहले आराजी किसके नाम व खातेदारी

सहायक कलेक्टर निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

पर भी इसकी जानकारी पालिका प्रशासन को नही है परंतु निम्बाहेडा–छोटीसादडी प्रारम्भ से बनी हुई है पगडंडी बनीहोना स्वीकार है परंतु सन् 1963 1964 में इस सडक को चौडी कर बनाई हो यह कथन भी स्वीकार नही है। आराजी नम्बर 1322 में से 1 बीघा 1 बिस्वा में 18 बिस्वा जमीन ली गई यह कथन स्वीकार नही है क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई पर्टिकूलर आवेदन पत्र में अंकित नही किया है इसलिये यह कथन स्वीकार नही है। छोटीसादडी–निम्बाहेडा रोड जो बना हुआ है वो अभी भी उसी अवस्था में मौजूद है यह कथन स्वीकार है। नगरपालिका क्षेत्र में गुजरने वाली सडक नगरपालिका की है और उसका मेन्टीनेंस नगरपालिका करती है और सडक से लगी हुई भूमि मार्गाधिकार का भाग है जो नगर निम्बाहेडा के नागरिकों के लिये आवागमन करने का स्थान है और मार्गाधिकार की भूमि पर नगर पालिका निम्बाहेडा को व्यापक जन हित में निर्माण करने का अधिकार है। शेष कथन स्वीकार नही है। गिरधारी पिता नन्दा जी गुर्जर के कितने वारिस है और किसका कितना हिस्सा है इसकी जानकारी पालिका प्रशासन को नही है। प्रार्थी स्वयं साबित करे इसलिये जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। नगरपालिका के खातेदारी में जो खसरा नम्बर अंकित है उसको छोडकर अन्य भूमि से पालिका प्रशासन को कोई लेना–देना नही है। सडक की भूमि के आस–पास संपूर्ण चौडाई तक पालिका द्वारा व्यापक जन हित में निर्माण किया जा रहा है प्रार्थी को इस निर्माण को रोकने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पालिका प्रशासन के विरूद्ध प्रचलित कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही है। सुविधा का संतुलन विपक्षी के पक्ष में है। नगर निम्बाहेडा की ओर आने वाली छोटीसादडी वाली रोड को समय पर चुस्त–दुरुस्त नही किया गया तो जनसामान्य को भारी क्षति होगी। व्यापक हित में जनता–जनार्दन को कठिनाईयों का सामना करना होगा इसलिये सुविधा का संतुलन विपक्षी के पक्ष में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नही है।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

6. विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी भैरूलाल पिता मांगी लाल गुर्जर के साथ मय राजस्व रिकार्ड मोका देखा गया मौके पर मण्डी चौराहे से कच्ची बस्ती की तरफ कृषि मण्डी के साथ–साथ डबल रोड़ है जबकि राजस्व मैप में, रोड नही दर्शाया गया है और नाही रोड़ में दर्शाया गया है जबकि नगरपालिका क्षेत्र की रोडों का खाता संख्या 933 है जो निम्बाहेडा के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी की आराजी नं. देखने पर जाहीर आया की प्रार्थी संयुक्त खाते में हिस्सेदार है जिसकी दो आराजी 1778 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 व 1787 रकबा 0.27 हेक्टेयर किस्म [illegible] के साथ लगती है जबकि प्रार्थी के 8 आराजीयत मैन रोड से पिछे [illegible] की आराजीयात देखने पर जाहीर आ[illegible] की तरफ जाते है तब हमारे दाहीनी तरफ [illegible] मण्डी के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि रोड़ व बाई तरफ की आराजीयात [illegible]रपालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस कारणं रोड़ की स्थिति स्पष्ट नही है। सम्भवतः ऐसा लगता है जब कृषि भूमि का सम्परिवर्तन हुआ है तब सरेन्डर कृषि भूमियों से रोड़ का निर्माण

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुआ है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये नगरपालिका निम्बाहेडा और सर्वे टीम का सहयोग लिया जाना उपेक्षित है।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी किसी भी प्रकार से नगर पालिका निम्बाहेडा के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे है । अपूर्णीय क्षति विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थी को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के [illegible] नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि [illegible] की पुश्तैनी पेतृक आराजियात हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अ[illegible] क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

-:आदेश:-

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner